राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प. 21(1)साप्र/2/11 जयपुर, दिनांक : 01-7-2011

–: आदेश :–

श्री राकेश कुमार वर्मा, कनिष्ट लिपिक, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर को उनकी जी श्रेणी की वरियता संख्या 81 एवं सेवा निवृति दिनांक 30.4.2036 के आधार पर इस विभाग के आदेश दिनांक 11.2.02 के द्वारा उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर आवंटित आवास संख्या 5/डी/12 गॉधीनगर के स्थान पर राजकीय आवास संख्या जी–836 गाधीनगर, जयपुर पूर्व शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन/परिवर्तन किया जाता है।

आज्ञा से,

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, जयपुर।
3, शासन उप सचिव, कार्मिक (ख–1) विभाग।
4, मुख्य लेखाधिकारी/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
5, प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर– कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
6. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0 अभि0 वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गॉधीनगर, जयपुर।
7, सहायक अभियन्ता,सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गॉधीनगर,जयपुर।
8, संबंधित कार्मिक को भेजकर लेख है कि आवटित आवास का तत्काल कब्जा लेकर पूर्व में आवंटित आवास को 15 दिवस में रिक्त करने का श्रम करावें।
9, निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
10, रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प. 18(1)साप्र/2/11 जयपुर, दिनांक : 01.7.2011

–: आदेश :–

निम्नाकित कर्मचारियों द्वारा उनकी पंचम श्रेणी की वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पंचम श्रेणी राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर एतद्द्वारा आवंटन किया जाता है :–

क्र.सं.	नाम व पद	आवास संख्या	सेवानिवृति तिथि	वरियता संख्या
1.	श्री गिरधारी राम कनिष्ठ लिपिक कार्मिक (ख–3) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	5/103 गॉधीनगर	30.4.2048	75/10
2	श्री मुकेश कुमार मीणा कनिष्ठ लिपिक मुख्य अभियन्ता (मु0) जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर	5/110 गॉधीनगर	31.8.2038	32/05

शर्ते :–

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षैत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।

8 आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को

यह घोषणा करनी होगीः–

1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
2. आवेदन प्रस्तंत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवासय के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय

9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

आज्ञा से,

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (मु0), जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी/कोषाधिकारी शासन सचिवालय, जयपुर। 6 कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
5. **अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0 अभि0 वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0 गॉधीनगर, जयपुर।**
6. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर– कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
7. सहायक अभियन्ता,सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गॉधीनगर, जयपुर।
8. सम्बन्धित कर्मचारीगण।
9. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
10. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव